

## **Disclaimer**

The Institute has given the right of translation of the material in Hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

## **अस्वीकरण**

भारतीय लेखाकार संस्थान ने इस अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार किसी को दिया था और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इस अध्ययन विषय-वस्तु के मूल रूप की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी, यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।



## पेपर - 5: अप्रत्यक्ष कर कानून

- (1) सभी प्रश्नों के उत्तर (i) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित GST कानून जिसमें महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र और अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, जो 28 फरवरी, 2025 तक प्रभावी हैं और (ii) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क कानून, जिसमें महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र और अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, जो 28 फरवरी, 2025 तक प्रभावी हैं, की स्थिति के आधार पर दिए गए हैं।
- (2) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, GST से संबंधित प्रश्नों और उत्तरों में निर्दिष्ट अनुभाग संख्या और नियम क्रमशः केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियम, 2017 से संबंधित हैं।
- (3) विभिन्न प्रश्नों में उल्लिखित वस्तुओं और सेवाओं के लिए GST की दरें काल्पनिक हैं और जरूरी नहीं कि ये उन वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाली वास्तविक दरें हों। सीमा शुल्क की दरें भी काल्पनिक हैं और जरूरी नहीं कि वास्तविक दरें हों। इसके अलावा, जहां भी लागू हो, सभी प्रश्नों में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।



प्रश्न

### मामले का परिदृश्य ।

सुपर लीवर लिमिटेड कर योग्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में लगी हुई है। मुंबई में स्थित इसका रिटेल शोरूम और साथ ही मुंबई और नागपुर में स्थित दो विनिर्माण यूनिटें महाराष्ट्र राज्य में GST के तहत एक ही GSTIN के तहत पंजीकृत हैं। कंपनी की बेंगलोर में एक विनिर्माण यूनिट है, जो कर्नाटक राज्य में GST के तहत पंजीकृत है और अहमदाबाद में स्थित एक अन्य रिटेल शोरूम है, जो गुजरात राज्य में GST के तहत पंजीकृत है।

कंपनी ने अक्टूबर महीने के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए हैं:

क्र. सं.	विवरण	मुंबई में रिटेल शोरूम	मुंबई यूनिट	नागपुर यूनिट
(i)	कर योग्य वस्तुओं की बिक्री	6,50,000	12,50,000	13,50,000
(ii)	कर योग्य कच्चे माल की खरीद		12,70,000	11,80,000
(iii)	सुरक्षा के लिए किया गया भुगतान	-	1,50,000	1,10,000
(iv)	राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज			1,08,000
(v)	प्रतिभूतियों की बिक्री [ऐसी प्रतिभूतियां ₹ 2,75,000 में खरीदी गई थी ]		4,50,000	
(vi)	विनिर्माण संयंत्र के आसपास के क्षेत्र में कृषि भूमि की बिक्री [स्टाम्प शुल्क ₹1,85,00,000 रुपये पर अदा किया गया]			1,85,00,000
(vii)	पुराने कारखाने की इमारत की बिक्री जो अब उपयोग नहीं की जाती है [स्टाम्प शुल्क ₹75,00,000 पर अदा किया गया]		90,00,000	

कंपनी द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की गई है:

- मुंबई यूनिट के मामले में, अक्टूबर महीने के लिए सुरक्षा सेवाओं के लिए भुगतान सेफ एंड सिक्योर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को किया गया है। जो GST के तहत पंजीकृत कंपनी नहीं है। नागपुर यूनिट के लिए, अक्टूबर महीने के लिए GST के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म विजिलेंट सॉल्यूशंस को भुगतान किया गया है।
- अक्टूबर दिवाली का महीना है, इसलिए मुंबई स्थित रिटेल शोरूम ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसर और इलेक्ट्रिक आयरन के कॉम्बो पैक रियायती दर पर बेचे हैं। प्रत्येक कॉम्बो पैक ₹6,000 की कीमत पर बेचा गया है। उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई रिटेल शोरूम की कुल बिक्री में से ₹ 1,50,000 ऐसे कॉम्बो पैक के कारण हुई है। इस प्रयोजन के लिए, चूंकि कंपनी इलेक्ट्रिक आयरन का निर्माण नहीं करती है, इसलिए रिटेल शोरूम द्वारा इन्हें विशेष रूप से बाजार से खरीदा गया था। कुछ इलेक्ट्रिक आयरन अलग से भी बेची गई

हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक इस्त्रियों की कुल बिक्री ₹36,000 है, जो उपरोक्त टेबल में दर्शाई गई बिक्री में शामिल है।

3. नागपुर यूनिट ने समय पर भुगतान करने के कारण छूट के रूप में नवंबर माह में अपने खरीदारों को ₹1,80,000 के क्रेडिट नोट जारी किए। अक्टूबर में बिक्री के समय खरीदारों को इस तरह की छूट के बारे में पता था। सभी खरीदारों ने छूट प्राप्त करने पर आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलट दिया, सिवाय एक खरीदार के, जिसे ₹ 23,000 का क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ। नागपुर यूनिट ने नवंबर माह में ₹ 16,00,000 की बिक्री (कर योग्य माल) की सूचना दी।
4. इसके अलावा, दिसंबर माह में, मुंबई यूनिट को अपने खरीदारों से बिक्री प्रतिफल के विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में ₹3,15,000 प्राप्त हुए (यदि लागू हो तो उस पर GST अलग से वसूला गया)। ब्याज अक्टूबर के महीने में की गई बिक्री से संबंधित है। मुंबई यूनिट ने दिसंबर माह में ₹ 12,00,000 की बिक्री (कर योग्य माल) की सूचना दी।
5. 16 अक्टूबर को ₹7,30,000 मूल्य का स्टॉक मुंबई यूनिट से नागपुर यूनिट में स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा, 22 अक्टूबर को ₹6,80,000 मूल्य का स्टॉक भी बेंगलोर यूनिट से अहमदाबाद स्थित रिटेल शोरूम में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका बिल अहमदाबाद रिटेल शोरूम को ₹5,00,000 भेजा गया।
7. 23 अक्टूबर को, मुंबई यूनिट के तैयार माल को ले जाने वाले एक ट्रक को सक्षम अधिकारी ने रोक दिया था। सक्षम अधिकारी का विचार था कि GST कानून के प्रावधानों के अनुसार ई-वे बिल तैयार नहीं किया गया था। माल के साथ ट्रक को अनुभाग 129 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया। जब्ती का आदेश 23 अक्टूबर को पास किया गया था और 24 अक्टूबर को मुंबई यूनिट को सूचित किया गया था।

इस मामले के परिदृश्य के लिए, बाजार से खरीदे गए इलेक्ट्रिक आयरन पर GST की लागू दर 18% है और अन्य सभी शेष सामान पर 12% है। मामले के परिदृश्य में बताई गई सभी राशियाँ जहाँ भी लागू हों, करों से अनन्य हैं।

**ऊपर दिए गए मामले के परिदृश्य के तथ्यों के आधार पर, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 6 के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:**

1. अक्टूबर महीने के दौरान नागपुर यूनिट द्वारा की गई कर योग्य आपूर्ति और नवंबर महीने के लिए इसकी सकल कर देयता (इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विचार किए बिना) का मूल्य है -
  - (a) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 13,50,000; सकल कर देयता - ₹ 1,70,400
  - (b) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 11,70,000; सकल कर देयता - ₹ 1,92,000
  - (c) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 13,50,000; सकल कर देयता - ₹ 1,73,160

- (d) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 12,78,000; सकल कर देयता - ₹ 1,73,160
2. अक्टूबर महीने के दौरान मुंबई यूनिट द्वारा की गई कर योग्य आपूर्ति और दिसम्बर महीने के लिए इसकी सकल कर देयता (इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विचार किए बिना) का मूल्य है -
- (a) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 1,07,00,000; सकल कर देयता - ₹ 1,81,800
- (b) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 15,65,000; सकल कर देयता - ₹ 1,44,000
- (c) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 17,00,000; सकल कर देयता - ₹ 1,81,800
- (d) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 12,50,000; सकल कर देयता - ₹ 1,81,800
3. मुंबई में रिटेल शोरूम द्वारा की गई जावक आपूर्ति के लिए सकल कर देयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- (a) अक्टूबर माह के लिए रिटेल शोरूम की सकल कर देयता (इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखे बिना) ₹89,160 है।
- (b) अक्टूबर माह के लिए रिटेल शोरूम की सकल कर देयता (इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखे बिना) ₹80,160 है।
- (c) अक्टूबर माह के लिए रिटेल शोरूम की सकल कर देयता (इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखे बिना) ₹78,000 है।
- (d) अक्टूबर माह के लिए रिटेल शोरूम की सकल कर देयता (इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखे बिना) ₹73,680 है।
4. अक्टूबर महीने के दौरान नागपुर यूनिट और मुंबई यूनिट द्वारा प्रदान की गई छूट योग्य आपूर्ति का मूल्य है-
- (a) नागपुर यूनिट - ₹ 1,08,000; मुंबई यूनिट-शून्य
- (b) नागपुर यूनिट - ₹ 1,86,08,000; मुंबई यूनिट - ₹ 94,50,000
- (c) नागपुर यूनिट - ₹ 1,86,08,000; मुंबई यूनिट - ₹ 4,50,000
- (d) नागपुर यूनिट - ₹ 1,08,000; मुंबई यूनिट- ₹ 4,50,000
5. अक्टूबर महीने के दौरान नियम 42 और 43 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलटने के उद्देश्य से नागपुर यूनिट और मुंबई यूनिट द्वारा प्रदान की गई छूट वाली आपूर्ति का मूल्य है-
- (a) नागपुर यूनिट - ₹ 1,08,000; मुंबई यूनिट- ₹ 4,50,000
- (b) नागपुर यूनिट - ₹ 1,85,00,000; मुंबई यूनिट - ₹ 75,04,500

- (c) नागपुर यूनिट - ₹ 1,86,08,000; मुंबई यूनिट - ₹ 94,50,000
- (d) नागपुर यूनिट - ₹ 1,85,00,000; मुंबई यूनिट - ₹ 79,50,000
6. मुंबई यूनिट ट्रक की जब्ती और उसमें ले जाए गए माल को अधिकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा पास किये गए आदेश के खिलाफ अपील दायर करना चाहती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- (a) अनुभाग 129 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा पास किये गए आदेशों के खिलाफ कोई अपीलीय उपाय नहीं है।
- (b) मुंबई यूनिट सीधे CGST अधिनियम, 2017 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकती है क्योंकि GST अपील अधिकरण का गठन अभी नहीं किया गया है।
- (c) मुंबई यूनिट अगले साल 24 जनवरी को या उससे पहले अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकती है।
- (d) मुंबई यूनिट अगले साल 23 जनवरी को या उससे पहले पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास अपील दायर कर सकती है।

### मामले का परिदृश्य - II

बेला पेट्रोलियम लिमिटेड पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में इसकी एक-एक रिफाइनरी है और देश भर में फैले कई प्रशासनिक और विपणन कार्यालय हैं।

कंपनी के पास प्रत्येक प्रमुख राज्य के लिए अलग-अलग विपणन सह प्रशासनिक कार्यालय हैं और छोटे राज्यों के समूह के लिए सामान्य प्रशासनिक सह विपणन कार्यालय हैं, जैसे कि सभी पूर्वोत्तर राज्य एक विपणन सह प्रशासनिक कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। कंपनी महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित अपने सम्मिश्रण संयंत्रों में लुब्रिकेशन का भी मिश्रण करती है।

एक नीति के रूप में, एक राज्य में कंपनी के व्यवसाय के सभी स्थान एक पंजीकरण के तहत GST के तहत पंजीकृत होते हैं।

आयातित कच्चे तेल का उपयोग रिफाइनरी में इनपुट के रूप में किया जाता है और रिफाइनिंग प्रक्रिया के बाद निम्नलिखित प्रमुख उत्पादों को निकाला जाता है:

फॉरवर्ड चार्ज के आधार पर GST के लिए प्रभार्य उत्पाद (ग्रुप A)	ऐसे उत्पाद जो GST के लिए प्रभार्य नहीं (ग्रुप B)
बेस ऑयल (लुब्रिकेशन सम्मिश्रण के लिए एक इनपुट)	पेट्रोल

फर्नेस ऑयल	डीजल
कोलतार (सड़क निर्माण के लिए प्रयुक्त)	एयर टर्बाइन ईंधन
LPG (घरेलू और औद्योगिक)	

बेस ऑयल्स को आगे सम्मिश्रण संयंत्रों में भेजा जाता है जहां उन्हें लुब्रिकेंट्स का उत्पादन करने के लिए योजक के साथ मिश्रित किया जाता है। कंपनी जनवरी महीने के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान करती है:

(राशि हजारों में)

विवरण	तमिलनाडु (₹)	महाराष्ट्र (₹)	पश्चिम बंगाल (₹)
सभी करों/शुल्कों सहित आपूर्ति का मूल्य (ग्रुप B के उत्पाद)	1,650	3,400	1,575
सभी करों/शुल्कों से पहले आपूर्ति का मूल्य (समूह A के उत्पाद)	100	200	20
ग्रुप B उत्पादों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क	500	1,000	110
ग्रुप B उत्पादों की आपूर्ति पर VAT	250	600	65
सम्मिश्रण संयंत्र में खरीदे गए इनपुट और इनपुट सेवाओं पर कर का भुगतान	5	6	0
रिफाइनरी में खरीदे गए पुर्जों पर कर का भुगतान (पुर्जों को राजस्व खाते में दर्ज किया गया है)	3	8	0
विपणन सह प्रशासनिक कार्यालय में खरीदे गए इनपुट और इनपुट सेवाओं पर कर का भुगतान	2	3	1
सम्मिश्रण संयंत्र में खरीदी गई पूँजी आस्ति पर कर का भुगतान	0	5	0
रिफाइनरी में खरीदी गई पूँजी आस्ति पर कर का भुगतान	12	0	0

महाराष्ट्र स्थित रिफाइनरी के स्टोर रूम में 28 फरवरी को अचानक आग लगने के कारण फरवरी माह में खरीदे गए सभी पुर्जे नष्ट हो गए।

मान लें कि समूह A के सभी उत्पाद GST @ 18% (CGST और SGST सया IGST दोनों सहित, जैसा भी मामला हो) के लिए प्रभार्य हैं।

प्रासंगिक कर अवधि के लिए बेला पेट्रोलियम लिमिटेड के इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रारंभिक शेष शून्य है। ऊपर दी गई जानकारी के अधीन, यह मान लें कि आईटीसी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक अन्य सभी शर्तें पूरी हो गई हैं। इसके अलावा, उपरोक्त संव्यवहार के अलावा जनवरी और फरवरी में बेला पेट्रोलियम लिमिटेड के लिए कोई अन्य आवक या जावक आपूर्ति संव्यवहार नहीं है।

ऊपर दिए गए मामले के परिदृश्य के तथ्यों के आधार पर, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 7 से 11 का सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

7. चालू वित्त वर्ष के लिए संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी में कंपनी की आपूर्ति का मूल्य ₹32,34,000 (समूह A उत्पाद) और गोवा राज्य में ₹18,38,000 (समूह A और समूह B उत्पाद) है। GST पंजीकरण है:
  - (a) पुडुचेरी और गोवा दोनों के लिए आवश्यक नहीं
  - (b) गोवा के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन पुडुचेरी के लिए आवश्यक है
  - (c) पुडुचेरी और गोवा दोनों के लिए आवश्यक
  - (d) पुडुचेरी के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन गोवा के लिए आवश्यक है
8. जनवरी महीने के लिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित विपणन सह प्रशासनिक कार्यालय में उपलब्ध कर योग्य आपूर्ति के कारण योग्य ITC है:
  - (a) ₹ 3,000
  - (b) ₹ 300
  - (c) ₹ 166.67
  - (d) ₹ 1,500
9. जनवरी महीने के लिए, तमिलनाडु राज्य में खरीदी गई पूंजी आस्ति के संबंध में कर योग्य आपूर्ति के कारण पात्र ITC है:
  - (a) ₹ 12,000.
  - (b) ₹ 200.
  - (c) ₹ 11,811.11.
  - (d) ₹ 11,820.

10. जनवरी माह में ₹10,000 मूल्य के लुब्रिकेंट का स्टॉक तमिलनाडु राज्य में स्थित ब्लेंडिंग प्लांट से उसी राज्य में स्थित रिफाइनरी में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस तरह के संव्यवहार पर देय GST (CGST और SGST) है:
- शून्य क्योंकि संव्यवहार एक आपूर्ति नहीं है।
  - ₹ 900.
  - ₹ 1,800.
  - शून्य, क्योंकि ऐसी आपूर्ति को GST से छूट दी गई है।
11. फरवरी में आग से नष्ट हुए पुर्जों के संबंध में बेला पेट्रोलियम लिमिटेड से क्या कार्रवाई की आवश्यकता है?
- GST कानून के तहत बेला पेट्रोलियम लिमिटेड की ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
  - बेला पेट्रोलियम लिमिटेड को आग लगने से हुए हानि के सत्यापन के लिए GST विभाग को रिपोर्ट करनी चाहिए।
  - बेला पेट्रोलियम लिमिटेड को पुर्जों पर चुकाए गए कर के ITC का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
  - बेला पेट्रोलियम लिमिटेड को उस पर प्राप्त ITC को उलट देना चाहिए।
12. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने जनवरी, 2024 में फ्रांस स्थित मेसर्स जॉर्ज को माल का एक प्रेषित माल निर्यात किया और लागू निर्यात शुल्क का भुगतान किया। गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण, मेसर्स जॉर्ज ने माल को अस्वीकार कर दिया और उसे अक्टूबर, 2024 में बिना किसी पुनर्विक्रय के एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को वापस कर दिया गया। सक्षम अधिकारी ने 15 अक्टूबर, 2024 को लौटाए गए माल के लिए निकासी आदेश पारित किया। बीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 10 मई, 2025 को निर्यात शुल्क की वापसी के लिए आवेदन किया। क्या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की अनुभाग 26 के तहत निर्यात शुल्क की वापसी के लिए पात्र है?
- हां, क्योंकि माल निर्यात के एक वर्ष के भीतर वापस कर दिया गया था और फिर से बेचा नहीं गया था।
  - नहीं, क्योंकि वापसी के लिए आवेदन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुभाग 26 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद दायर किया गया था।
  - हां, क्योंकि धनवापसी आवेदन पुनः आयात के एक वर्ष के भीतर दायर किया गया था।

- (d) नहीं, क्योंकि एक बार निर्यात किए गए सामान किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापसी के लिए पात्र नहीं हैं।
13. राजस्थान राज्य में GST के तहत पंजीकृत नंदिता प्राइवेट लिमिटेड, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में लगी हुई है। इसकी उत्तराखंड में स्थित एक शाखा और झारखंड में एक विनिर्माण यूनिट भी है। कंपनी ने जनवरी महीने के लिए, राजस्थान कार्यालय द्वारा किए गए निम्नलिखित संव्यवहार प्रदान किए हैं:

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹)
	<b>जावक आपूर्ति:</b>	
(i)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर एक कमोडिटी के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया, जिसका निपटान जनवरी में निपटान तिथि पर फॉरवर्ड दर और बाजार दर के बीच के अंतर को घटाकर किया गया था।	18,00,000
(ii)	झारखंड में पंजीकृत, धनवर्षा बिल्डर्स को 2 साल की अवधि के लिए झारखंड में खनन क्षेत्र के भीतर खनिजों के परिवहन के लिए दिए गए ड्राइवर सहित डंपरों को किराए पर लेना	11,50,000
(iii)	कच्चे रेशम से रेशमी धागा तैयार किया और उसे मुंबई में पंजीकृत गजोधर ट्रेडर्स को आपूर्ति किया	80,00,000
(iv)	UPSC की तैयारी कर रहे 10 छात्रों को प्रदान की गई आवास सेवाओं के लिए प्राप्त राशि। उक्त आवास सेवा 6 महीने की निरंतर अवधि के लिए प्रति छात्र ₹20,000 मासिक किराए पर उपलब्ध कराई जाती है।	2,00,000
(v)	जोधपुर, राजस्थान में एक कंसाइनमेंट एजेंट -सुहासिनी ट्रेडर्स- को ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति की। (सुहासिनी ट्रेडर्स ने ग्राहकों को माल की आपूर्ति करते समय अपने नाम का उपयोग करते हुए चालान जारी किया।) सुहासिनी ट्रेडर्स ने उसी माह के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में असंबद्ध थोक विक्रेताओं को समान प्रकार और गुणवत्ता का माल ₹ 5,60,000 में आपूर्ति किया। खुले बाजार में मूल्य ₹5,40,000 है।	-
	<b>आवक आपूर्ति</b>	
(i)	दिल्ली में एक कन्वेंशन सेंटर में कंपनी के उत्पाद लॉन्च मीट के आयोजन के लिए "व्हाइट फ्रेम इवेंट्स" (राजस्थान में पंजीकृत) से	5,50,000

	इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं का लाभ उठाया।	
(ii)	कर योग्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए रांची, झारखंड स्थित पंजीकृत आपूर्तिकर्ता टेकफैब इंजीनियरिंग लिमिटेड से उच्च क्षमता वाली औद्योगिक मशीन खरीदी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मशीन के हिस्सों को झारखंड स्थित विनिर्माण यूनिट में लाए गए और वहां उन्हें असेंबल गया और चालू किया गया और प्राप्तकर्ता के निरीक्षण और अनुमोदन के बाद इसकी डिलीवरी पूरी कर दी गई।	2,00,000
(iii)	अपने कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर और आस-पास के ग्राहक स्थानों पर आवागमन के लिए उपयोग के लिए 25 सीसी इंजन क्षमता वाले 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे। स्कूटर की आपूर्ति जयपुर में केरल में स्थित एक GST-पंजीकृत डीलर द्वारा की गई थी।	1,80,000

कंपनी ने निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की:

- (i) कुछ कर योग्य वस्तुओं को शाखा द्वारा प्रचार उपहार देने के लिए उत्तराखंड में स्थित कंपनी की शाखा में स्थानांतरित किया गया था। चालान मूल्य ₹2,40,000 था, लेकिन खुले बाजार मूल्य ₹2,80,000 था।
- (ii) नंदिता प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल महीने में मणिमणि बैंक, राजस्थान से ₹120 करोड़ का ऋण प्राप्त किया था। आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में जनवरी माह में मणिमणि बैंक द्वारा ₹26,00,000 का दंडात्मक शुल्क लगाया गया, क्योंकि नंदिता प्राइवेट लिमिटेड ऋण अनुबंध की शर्तों व नियमों का अनुपालन करने में विफल रही।
- (iii) प्रश्न में दी गई सभी राशियों में, जहां भी लागू हो, कर शामिल नहीं हैं।
- (iv) सभी आवक आपूर्ति का उपयोग कर योग्य के साथ-साथ जवाब आपूर्ति में छूट के लिए किया गया था।
- (v) प्रासंगिक कर अवधि के लिए किसी भी ITC का कोई प्रारंभिक शेष नहीं था।
- (vi) कंपनी हमेशा एजेंट और शाखाओं को की गई आपूर्ति के मूल्यांकन के लिए सबसे फायदेमंद विकल्प चुनती है।
- (vii) सभी आवक और जावक आपूर्तियों पर CGST, SGST और IGST की दरें क्रमशः 9%, 9% और 18% हैं।

उपरोक्त दी गई जानकारी के आधार पर, जनवरी महीने के लिए नंदिता प्राइवेट लिमिटेड (राजस्थान) के लिए संक्षिप्त कारण सहित निम्नलिखित को निर्धारित करें:

1. सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)।

2. नकद में देय न्यूनतम शुद्ध GST देयता (CGST और SGST या IGST, जैसा भी मामला हो)।
14. उत्तर प्रदेश में GST के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता आकर्ष ट्रेडर्स का GST पंजीकरण चालू वित्त वर्ष की पहली सितंबर से पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द कर दिया गया। रद्द करने का आदेश चालू वित्तीय वर्ष के 15 सितंबर को पारित किया गया था। रद्दीकरण के समय, आपूर्तिकर्ता ने कर योग्य वस्तुओं की आवक आपूर्ति के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के फरवरी और मार्च में जारी किए गए कुछ पात्र चालानों पर ITC का लाभ नहीं उठाया था, जिस पर ITC अन्यथा GST कानून के तहत उपलब्ध है।

इसके बाद, प्रतिसंहरण के लिए आवेदन दाखिल करने पर, चालू वित्तीय वर्ष की 15 दिसंबर को सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रतिसंरित को रद्द कर दिया गया।

फर्म चालू वित्त वर्ष के सितम्बर माह के लिए अपनी GSTR-3B विवरणी 21 दिसम्बर को दाखिल करना चाहती है और इस विवरणी में पिछले वित्त वर्ष के फरवरी और मार्च के चालानों पर ITC का दावा करना चाहती है।

आपको यह मानते हुए आकर्ष ट्रेडर्स को सुझाव देना है कि क्या वह GST कानून के प्रावधानों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के फरवरी और मार्च में जारी किए गए चालानों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने का हकदार है, कि पिछले वर्ष की वार्षिक विवरणी चालू वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर को दाखिल की गई थी।

15. मध्य प्रदेश में स्थित एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता अर्नव एंटरप्राइजेज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी मासिक GST विवरणी को विधिवत दाखिल किया है। अगस्त 2025 में उक्त वित्तीय वर्ष के लिए इनकी विवरणी की संवीक्षा के दौरान, सक्षम अधिकारी ने अक्टूबर 2024 के महीने में *सद्भाव* त्रुटि के कारण CGST और SGST का कुल ₹4,60,000 का अनजाने में कम भुगतान देखा। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना जारी करने से पहले, अर्नव एंटरप्राइजेज ने 15 सितंबर 2025 को अपने स्वयं के आकलन के आधार पर ₹ 1,00,000 (₹ 50,000 CGST और ₹ 50,000 SGST) का कर लागू ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो, के साथ चुकाया और सक्षम अधिकारी को इस तरह के भुगतान के बारे में लिखित रूप से सूचित किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित का उत्तर दें:-

- (1) अर्नव एंटरप्राइजेज द्वारा कम भुगतान किए गए कर की राशि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना जारी करने की अंतिम तिथि अभिनिश्चित करें।
- (2) 15 सितंबर 2025 को लागू ब्याज के साथ अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर अर्नव एंटरप्राइजेज द्वारा ₹ 1,00,000 के कर के भुगतान पर देय जुर्माने की राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण करें।

- (3) यह मानते हुए कि सक्षम अधिकारी 10 अक्टूबर 2025 को अनुभाग 74A के अंतर्गत कारण बताओ सूचना जारी करने का निर्णय लेता है, कर की अधिकतम राशि निर्धारित करें जिसके लिए वह कारण बताओ सूचना जारी कर सकता है। यह मानते हुए वह अंतिम तिथि अभिनिश्चित करें जिसके भीतर सक्षम अधिकारी को अनुभाग 74A के अंतर्गत आदेश जारी करना चाहिए, कि उचित अधिकारी द्वारा उक्त तिथि को कारण बताओ सूचित जारी किया जाता है।
- (4) उपरोक्त उप-भाग (3) के अनुक्रम में, यदि सक्षम अधिकारी 10 अक्टूबर, 2025 को अनुभाग 74A के तहत अनुमत कर की राशि के लिए कारण बताओ सूचना जारी करता है और अर्नव एंटरप्राइजेज 5 दिसंबर, 2025 को लागू ब्याज के साथ उक्त कर का भुगतान करने का निर्णय लेता है, तो आपको अर्नव एंटरप्राइजेज द्वारा देय जुर्माना, यदि कोई हो, निर्धारित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रत्येक मामलों में, यदि कर का कम भुगतान धोखाधड़ी के कारण हुआ हो, और अन्य तथ्य समान हैं, तो क्या आपका उत्तर अलग होगा?

नोट - मान लें कि वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख नहीं बढ़ाई गई है और आयुक्त द्वारा अनुभाग 74A के तहत आदेश जारी करने की सीमा अवधि नहीं बढ़ाई गई है। उपरोक्त प्रश्न में ब्याज की गणना पर ध्यान न दें।

16. अपीलीय प्राधिकरण (AA) ने वेन्यू ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ₹1,200 करोड़ रुपये के IGST की मांग करते हुए एक आदेश पारित किया। वेन्यू ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड AA के आदेश के खिलाफ अपील दायर करना चाहता है। कंपनी ₹100 करोड़ की देनदारी स्वीकार करती है, लेकिन शेष मांग राशि के लिए मुकदमा करना चाहती है और इसलिए, अपील अधिकरण में अपील दायर करती है।

आपको पूर्व-जमा राशि निर्धारित करनी है, जिसे अपील दायर करने के लिए वेन्यू ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है।

17. महाराष्ट्र में पंजीकृत बीमा कंपनी एबीसी इश्योरेंस लिमिटेड बीमा सेवाएं प्रदान करती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित संव्यवहार किए:

- (i) एबीसी इश्योरेंस लिमिटेड ने एक्सवाईजेड इश्योरेंस लिमिटेड के साथ सह-बीमा समझौता किया है, जिसमें एबीसी इश्योरेंस लिमिटेड प्रमुख बीमाकर्ता है। बीमाकृत - ज्ञाति इंडस्ट्रीज - ₹50,00,000 का कुल प्रीमियम अदा करता है, जिसे प्रमुख बीमाकर्ता - एबीसी इश्योरेंस लिमिटेड और एक्सवाईजेड इश्योरेंस लिमिटेड द्वारा ज्ञाति इंडस्ट्रीज को संयुक्त रूप से प्रदान की गई बीमा सेवाओं के लिए 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। एबीसी इश्योरेंस लिमिटेड, ज्ञाति इंडस्ट्रीज से प्राप्त प्रीमियम की पूरी राशि पर संपूर्ण GST देयता का भुगतान करने के लिए सहमत है।

- (ii) एक बड़े औद्योगिक संयंत्र को ₹500 करोड़ के बीमा की आवश्यकता है। यह इसके लिए एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड से संपर्क करता है। हालांकि, चूंकि एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड अकेले संपूर्ण जोखिम का निम्नांकन करने में असमर्थ है, इसलिए वह एक पुनर्बीमाकर्ता - पीक्यूआर इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ पुनर्बीमा समझौता करता है। कुल प्रीमियम ₹50 लाख है। बीमाकर्ता - एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड, पीक्यूआर इंश्योरेंस लिमिटेड को ₹20 लाख का पुनर्बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। इससे एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड को अपने जोखिम और वित्तीय जोखिम का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। पीक्यूआर इंश्योरेंस लिमिटेड को यह राशि देते समय, एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड ₹1,00,000 का पुनर्बीमा कमीशन काटता है, जो उसने पीक्यूआर इंश्योरेंस लिमिटेड को प्रदान की गई सेवाओं के लिए लिया है। पीक्यूआर इंश्योरेंस लिमिटेड पुनर्बीमा कमीशन सहित सकल पुनर्बीमा प्रीमियम पर GST का भुगतान करता है।

CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के प्रावधानों के आधार पर चर्चा करें कि क्या निम्नलिखित गतिविधियाँ आपूर्ति के अंतर्गत आती हैं:

- (a) एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा एक्सवाईजेड इंश्योरेंस लिमिटेड को ज्ञाति इंडस्ट्रीज को संयुक्त रूप से प्रदान की गई बीमा सेवाओं के लिए सह-बीमा प्रीमियम का प्रभाजन।
- (b) एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा पीक्यूआर इंश्योरेंस लिमिटेड को दी जाने वाली सेवाएं, जिसके लिए एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा पीक्यूआर इंश्योरेंस लिमिटेड को भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से पुनर्बीमा कमीशन काट लिया जाता है।
18. एक आयातक, सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने अधिसूचना का लाभ उठाया, ने एलईडी पैनल निर्माण के लिए कच्चे माल का आयात किया। अधिसूचना में इस तरह से आयातित अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल के पुनः निर्यात के संबंध में कोई शर्त या समयावधि निर्दिष्ट नहीं की गई है। माल 10 फरवरी, 2024 को आयात किया गया था।
- हालाँकि, प्राप्त माल का एक छोटा हिस्सा दोषपूर्ण पाया गया और कंपनी में उत्पादन में बदलाव के कारण अप्रयुक्त रह गया। सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इन दोषपूर्ण और अप्रयुक्त सामानों से निपटने के लिए सलाह लेने के लिए आपसे संपर्क किया।
- सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए माल का आयात) नियम, 2022 के प्रावधानों के आधार पर, आपको चर्चा करने की आवश्यकता है:
- (a) क्या सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स इन अप्रयुक्त या दोषपूर्ण वस्तुओं को फिर से निर्यात कर सकता है? यदि हाँ, तो अधिकतम स्वीकार्य समय अवधि क्या है, जिसमें सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स माल को फिर से निर्यात कर सकता है?
- (b) माल के पुनः निर्यात के मामले में क्या शर्तें लागू हैं?

(c) यदि सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स घरेलू उपभोग के लिए माल का उपयोग करना चाहता है, तो इसके लिए प्रक्रिया बताएं।

19. मि. फेडरिक ने CIF संविदा के तहत यूनाइटेड किंगडम में एक आपूर्तिकर्ता से पुराने माल का आयात किया। संव्यवहार के हिस्से के रूप में, विक्रेता निरीक्षण शुल्क के लिए 600 पाउंड की राशि उपगत की गई थी। यह निरीक्षण विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं किया गया है और माल को शिपमेंट के लिए तैयार करने के लिए न तो अनुबंधित रूप से सहमत थे और न ही आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त, भारत में स्थानीय एजेंट को कमीशन देय होता है, जिसकी गणना भारतीय मुद्रा में FOB (फ्री ऑन बोर्ड) मूल्य के 1% के आधार पर की जाती है।

प्रविष्टि बिल 18 फरवरी को दाखिल किया गया था, जिस दिन मूल सीमा शुल्क दर 10% थी, और CBIC द्वारा अधिसूचित विनिमय दर ₹102 प्रति यूके पाउंड थी। माल लेकर विमान 15 फरवरी को पहुंचा, उस समय सीमा शुल्क की दर 15% थी, और CBIC द्वारा अधिसूचित विनिमय दर ₹98 प्रति यूके पाउंड थी। दोनों तिथियों पर प्रचलित अंतर-बैंक विनिमय दर ₹106 प्रति यूके पाउंड थी।

हालांकि, संविदा की तारीख और वास्तविक आयात के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों में उतार-चढ़ाव के कारण संव्यवहार में कई मूल्य संशोधन हुए। आखिरकार, दोनों पक्षों ने समझौता वार्ता के माध्यम से निम्नलिखित भुगतान योग्य कीमत पर सहमति व्यक्त की:

विवरण	संविदा मूल्य (£)	परिवर्तित मूल्य (£)	समझौता वार्ता मूल्य (£)
CIF मूल्य	5,200	5,900	5,500
विमान वस्तु भाड़ा	400	600	500
बीमा	450	750	600

पुराने माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना करें।

20. केडब्ल्यू फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाई स्पिरिट डीजल (HSD) का आयात किया और इसे एक सार्वजनिक गोदाम में संग्रहीत किया। घरेलू उपभोग के लिए एक पूर्व-बंधक प्रविष्टि बिल" दाखिल किया गया था और ऐसे प्रविष्टि बिल की प्रस्तुति की तिथि को प्रचलित दर के आधार पर लागू सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था। सक्षम अधिकारी ने घरेलू उपयोग के लिए मंजूरी के लिए एक आदेश पारित किया।

वस्तु की अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के कारण, आयातक ने बिक्री/उपयोग के लिए वास्तविक मंजूरी मिलने तक उसी गोदाम में डीजल के भंडारण की अनुमति देने के लिए आवेदन किया। आवेदन को अनुमति दे दी गई। गोदाम से माल को वास्तविक रूप से हटाने के समय, शुल्क की दर को बढ़ा दिया गया था।

विभाग ने संशोधित शुल्क दर लागू करते हुए इस आधार पर अंतर शुल्क के भुगतान की मांग की कि माल उस समय हटाया गया जब उच्च दर प्रभावी थी। केडब्ल्यू फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस मांग की वैधता पर सवाल उठाया है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों और प्रासंगिक न्यायिक निर्णय, यदि कोई हो, के प्रकाश में विभाग की मांग की वैधता की गंभीर रूप से जांच करें।



## सुझाए गए उत्तर

प्रश्न संख्या	उत्तर
1.	(c) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 13,50,000; सकल कर देयता - ₹ 1,73,160
2.	(d) कर योग्य आपूर्ति का मूल्य - ₹ 12,50,000; सकल कर देयता - ₹ 1,81,800
3.	(a) अक्टूबर माह के लिए रिटेल शोरूम की सकल कर देयता (इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखे बिना) ₹89,160 है।
4.	(a) नागपुर यूनिट - ₹ 1,08,000; मुंबई यूनिट-शून्य
5.	(b) नागपुर यूनिट - ₹ 1,85,00,000; मुंबई यूनिट - ₹ 75,04,500
6.	(c) मुंबई यूनिट अगले साल 24 जनवरी को या उससे पहले अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकती है।
7.	(c) पुडुचेरी और गोवा दोनों के लिए आवश्यक
8.	(b) ₹ 300
9.	(d) ₹ 11,820.
10.	(a) शून्य क्योंकि संव्यवहार एक आपूर्ति नहीं है।
11.	(c) बेला पेट्रोलियम लिमिटेड को पुर्जों पर चुकाए गए कर के ITC का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
12.	(b) नहीं, क्योंकि वापसी के लिए आवेदन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुभाग 26 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद दायर किया गया था।

13. जनवरी के महीने के लिए नंदिता प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नकद में देय न्यूनतम शुद्ध GST की गणना

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹)	CGST (₹)	SGST (₹)	IGST (₹)
(i)	वायदा व्युत्पन्न संविदा [वायदा व्युत्पन्न संविदा, जहां निपटान वायदा दर और बाजार दर के बीच के अंतर को घटाकर किया	18,00,000	-	-	-

	जाता है, जो प्रतिभूतियों के रूप में योग्य होते हैं। इसलिए, वे अनुभाग 2(52) और 2(102) के तहत वस्तुओं और सेवाओं की परिभाषाओं के संदर्भ में न तो माल और न ही सेवाएं हैं। इस प्रकार, दिए गए संव्यवहार आपूर्ति नहीं है।]				
(ii)	धनवर्षा बिल्डर्स को डंपरों का किराया [विशेष रूप से छूट नहीं। इसके अलावा, यह एक अंतर-राज्य आपूर्ति है क्योंकि पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान है, अर्थात् झारखंड।]	11,50,000			2,07,000 [11,50,000 × 18%]
(iii)	रेशम के धागे की आपूर्ति [कच्चे रेशम से रेशम बनाने वाले व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति किए गए रेशम धागे पर कर, प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत देय है। इस प्रकार, कर गजोधर ट्रेडर्स द्वारा देय है।]	80,00,000	-	-	
(iv)	छात्रों को प्रदान की आवास सेवा [प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹ 20,000 रुपये से कम या उसके बराबर मूल्य की आवास सेवाओं की आपूर्ति को छूट दी गई है, बशर्ते कि	2,00,000	-	-	-

	आवास सेवा कम से कम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए प्रदान की गई हो।]				
(v)	<p>एक एजेंट को माल की आपूर्ति</p> <p>[कंपनी द्वारा एजेंट को माल की आपूर्ति CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची I के पैरा 3 के अनुसार आपूर्ति के रूप में योग्य है क्योंकि एजेंट ग्राहकों को अपने नाम से चालान जारी करता है।</p> <p>इसके अलावा, यह एक अंतर-राज्यीय आपूर्ति है क्योंकि आपूर्ति का स्थान वह स्थान है जहां माल की आवाजाही समाप्त होती है, अर्थात राजस्थान।</p> <p>इसके अलावा, एजेंट को माल की आपूर्ति का मूल्य है:</p> <p>(i) खुला बाजार मूल्य (₹ 5,40,000)</p> <p>या</p> <p>(ii) प्राप्तकर्ता द्वारा असंबंधित ग्राहक से वसूले गए समान प्रकार और गुणवत्ता के सामान की कीमत का 90% ₹5,04,000 (₹5,60,000 × 90%), आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर [नियम 29]।</p> <p>चूंकि कंपनी सबसे अधिक</p>	5,04,000	45,360 [5,04,000 × 9%]	45,360 [5,04,000 × 9%]	

	लाभकारी विकल्प चुनना चाहती है, इसलिए दोनों में से सबसे कम मान वाला लिया गया है।]				
(vi)	उत्तराखंड शाखा को कर योग्य वस्तुओं का अंतर-राज्यीय हस्तांतरण [प्रचार उपहार के लिए प्राप्त माल का ITC शाखा को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उपहार या मुफ्त नमूनों के माध्यम से निपटाए गए माल के संबंध में ITC अनुभाग 17(5)(h) के अनुसार अवरुद्ध है। चूंकि प्राप्तकर्ता-शाखा-पूर्ण ITC के लिए पात्र नहीं है और माल इसके द्वारा आगे की आपूर्ति के उपयोग के लिए नहीं है, इसलिए उक्त माल की आपूर्ति का मूल्य खुला बाजार मूल्य होगा (नियम 28)।]	2,80,000			50,400 [2,80,000 × 18%]
(vii)	दंडात्मक प्रभार [RBI के निर्देशों के अनुपालन में बैंकों सहित नियामक संस्थाओं द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क अनिवार्य रूप से अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए शुल्क की प्रकृति में हैं और इसलिए, इस पर कोई GST देय नहीं है <sup>1</sup> ।]	26,00,000			

<sup>1</sup> परिपत्र सं. 245/02/2025 GST दिनांक 28.01.2025

कुल उत्पादन कर		45,360	45,360	2,57,400
घटाएं: सेट ऑफ के लिए उपलब्ध ITC [नीचे कार्यकारी नोट देखें]		9,340	9,340	6,172
नकद में देय न्यूनतम शुद्ध GST (गोपूरुणांकित)		36,020	36,020	2,51,228

## कार्यकारी नोट-सेट ऑफ के लिए उपलब्ध पात्र ITC की गणना

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹)	CGST (₹)	SGST (₹)	IGST (₹)
	इस्तेमाल की गई इवेंट मैनेजमेंट सेवाएं [यह अंतर-राज्यीय आपूर्ति है क्योंकि पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इवेंट प्रबंधन सेवाओं की आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान है, अर्थात राजस्थान। इसके अलावा, कारबार के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की गई सेवाओं का ITC उपलब्ध है।]	5,50,000	49,500 [5,50,000 × 9%]	49,500 [5,50,000 × 9%]	
	खरीदी गई मशीन [यह अंतर-राज्यीय आपूर्ति है चूंकि माल की आवाजाही न होने की स्थिति में आपूर्ति का स्थान, प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समय माल का स्थान होता है, अर्थात झारखंड। हालांकि, इसका ITC उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि उक्त अंतर-राज्यीय आपूर्ति का प्राप्तकर्ता, आपूर्ति के	1,00,000	-	-	-

	स्थान से भिन्न राज्य में स्थित है। <sup>2]</sup>				
	खरीदे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर {यह अंतर-राज्य आपूर्ति है क्योंकि आपूर्ति का स्थान जयपुर है और आपूर्तिकर्ता केरल में है। इसके अलावा, 25 cc तक की इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर ITC, जिसका उपयोग कारबार में या कारबार को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, अनुभाग 17(5)(a) के संदर्भ में अवरुद्ध नहीं है क्योंकि उन्हें मोटर वाहन की परिभाषा से बाहर रखा गया है।}	1,80,000			32,400 [1,80,000 × 18%]
	<b>कुल ITC</b>		<b>49,500</b>	<b>49,500</b>	<b>32,400</b>
<b>सेट ऑफ के लिए उपलब्ध पात्र ITC की गणना</b>					
	सामान्य क्रेडिट [सभी आवक आपूर्ति आमतौर पर छूट और कर योग्य आपूर्ति के लिए उपयोग की जाती है।]		49,500	49,500	32,400
	घटाएं: छूट प्राप्त आपूर्तियों के कारण ITC [सामान्य क्रेडिट x (छूट प्राप्त टर्नओवर/कुल टर्नओवर)] को उलट दिया जाएगा ₹ [सामान्य क्रेडिट x 82,18,000/1,01,52,000] - नीचे नोट देखें		(40,070)	(40,070)	(26,228)

<sup>2</sup> परिपत्र संख्या 170/02/2022 GST दिनांक 06.07.2022

सेट ऑफ के लिए उपलब्ध योग्य ITC	9,430	9,430	6,172
--------------------------------	-------	-------	-------

**नोट:** - अनुभाग 17(3) के अनुसार, छूट योग्य आपूर्ति के मूल्य में वह आपूर्ति शामिल है जिस पर प्राप्तकर्ता रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने और प्रतिभूतियों में संव्यवहार करने के लिए उत्तरदायी है। CGST नियमों के अध्याय V के स्पष्टीकरण के अनुसार, सुरक्षा के लिए छूट की आपूर्ति का मूल्य ऐसी प्रतिभूतियों के बिक्री मूल्य का 1% है।

इसलिए, दिए गए मामले में छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य, आउटपुट आपूर्ति के मूल्य, जिस पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर देय है (₹ 80,00,000), छात्रों को प्रदान की गई आवास सेवा (₹ 2,00,000), और प्रतिभूतियों की आपूर्ति का मूल्य (₹ 18,00,000 का 1% = ₹ 18,000) का योग होगा, जो ₹ 82,18,000 आता है।

कुल टर्नओवर = ₹ 1,01,52,000 (₹ 18,000 + ₹ 11,50,000 + ₹ 80,00,000 + ₹ 2,00,000 + ₹ 5,04,000 + ₹ 2,80,000)

**14.** अनुभाग 16(6) के अनुसार, जहां:

- किसी पंजीकृत व्यक्ति का पंजीकरण अनुभाग 29 के अंतर्गत रद्द कर दिया जाता है,
- और बाद में अनुभाग 30 के तहत किसी भी आदेश द्वारा रद्दीकरण को रद्द कर दिया जाता है,
- और रद्द करने की तारीख को अनुभाग 16(4) के तहत ITC का लाभ प्रतिबंधित नहीं था,

तब ऐसा व्यक्ति अनुभाग 39 के तहत विवरणी में ऐसे चालान या डेबिट नोट पर ITC लेने का हकदार है यदि:

- (i) उस वित्तीय वर्ष के बाद की 30 नवंबर तक दाखिल किया गया, जिससे ऐसा चालान या डेबिट नोट संबंधित है, या वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख, जो भी पहले हो; या
- (ii) पंजीकरण रद्द करने की तारीख से या पंजीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख से, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण रद्द करने के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए, जहां ऐसी विवरणी पंजीकरण रद्द करने के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर दाखिल की जाती है

जो भी बाद में हो।

दिए गए मामले में उपरोक्त कानूनी प्रावधानों को देखते हुए, आकर्ष ट्रेडर्स अनुभाग 39 के तहत विवरणी में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के फरवरी और मार्च में जारी किए गए चालान के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने का हकदार है:

(i) चालू वित्त वर्ष के 30 नवंबर तक दाखिल करता है

या

(ii) पंजीकरण रद्द करने की प्रभावी तिथि से पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तिथि तक की अवधि के लिए विवरणी दाखिल करता है, वह भी पंजीकरण प्रतिसंहरण करने के 30 दिनों के भीतर यानी 14 जनवरी तक।

जो भी बाद में हो।

इस प्रकार, आकर्ष ट्रेडर्स चालू वित्त वर्ष के 21 दिसंबर को दाखिल सितंबर माह की विवरणी में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के फरवरी और मार्च में जारी किए गए चालान के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने का हकदार है।

15. (1) सक्षम अधिकारी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 42 महीने के भीतर कारण बताओ सूचना जारी कर सकता है जिससे कम भुगतान संबंधित है [अनुभाग 74A(2)]। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। इसलिए, अर्नव एंटरप्राइजेज द्वारा कम भुगतान किए गए कर की राशि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना जारी करने की अंतिम तिथि 30 जून 2029 है।

इसके अलावा, अनुभाग 74A कारण बताओ सूचना जारी करने के लिए समान सीमा अवधि निर्धारित करता है चाहे कम भुगतान धोखाधड़ी के कारण है या वास्तविक त्रुटि के कारण है। इस प्रकार, उत्तर वही रहेगा यदि कर का कम भुगतान धोखाधड़ी के कारण होता है।

- (2) जहां किसी कर का कम भुगतान किया गया है, वहां कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति कारण बताओ सूचना के जारी होने से पहले, ऐसे कर के बारे में स्वयं की जानकारी के आधार पर अनुभाग 50 के तहत देय ब्याज सहित कर की राशि का भुगतान कर सकता है और ऐसे भुगतान के बारे में लिखित रूप में सक्षम अधिकारी को सूचित कर सकता है, और उचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर इस प्रकार भुगतान किए गए कर या CGST अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय किसी जुर्माने के संबंध में कोई कारण बताओ सूचना जारी नहीं करेगा। [अनुभाग 74A(8)(i)]।

इस प्रकार, कारण बताओ सूचना जारी करने से पहले ₹ 1,00,000 के कर के भुगतान के संबंध में अर्नव एंटरप्राइजेज द्वारा कोई जुर्माना देय नहीं है। इस प्रकार भुगतान किए गए ₹1,00,000 के कर के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

हालांकि, ऐसे मामले में जहां कर का कम भुगतान धोखाधड़ी के कारण होता है, कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कारण बताओ सूचना जारी होने से पहले, अनुभाग 50 के

तहत देय ब्याज सहित कर की राशि और ऐसे कर के अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर ऐसे कर के 15% के बराबर जुर्माना या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर का भुगतान करता है और ऐसे भुगतान के बारे में लिखित रूप में सक्षम अधिकारी को सूचित करता है तो सक्षम अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, CGST अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों [अनुभाग 74A(9)(i)] के प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए कर या देय किसी भी जुर्माने के संबंध में कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगा।

इस प्रकार, कारण बताओ सूचना जारी करने से पहले, अर्नव एंटरप्राइजेज द्वारा ₹ 15,000 [₹ 1,00,000 × 15%] का दण्ड और लागू ब्याज के साथ ₹ 1,00,000 के कर का भुगतान देय है। इस प्रकार भुगतान किये गए कर के संबंध में ब्याज और दण्ड सहित कर के भुगतान के बाद उचित अधिकारी द्वारा कोई कारण बताओ सूचना नहीं जारी की जाएगी।

- (3) चूंकि अर्नव एंटरप्राइजेज ने कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले ब्याज सहित ₹ 1,00,000 का कर चुकाया है, इसलिए भुगतान किए गए कर के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कारण बताओ सूचना जारी नहीं की जाएगी [अनुभाग 74A(8)(i)]।

हालाँकि, जहाँ सक्षम अधिकारी की राय है कि अनुभाग 74A(8)(i) के तहत भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम है, वह ऐसी राशि के संबंध में कारण बताओ सूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा जो वास्तव में देय राशि से कम होती है [अनुभाग 74A(10)]।

इस प्रकार, दिए गए मामले में, उचित अधिकारी ₹ 3,60,000 [₹ 4,60,000 - ₹ 1,00,000] के शेष कर के लिए सूचना जारी करेगा।

यदि कम भुगतान धोखाधड़ी के कारण हुआ है तो उत्तर निम्नानुसार होगा:

चूंकि अर्नव एंटरप्राइजेज ने कारण बताओ सूचना जारी करने से पहले लागू ब्याज और जुर्माने के साथ ₹ 1,00,000 का कर चुकाया है, इसलिए भुगतान किए गए कर के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कारण बताओ सूचना जारी नहीं की जाएगी [अनुभाग 74A(9)(i)]।

हालाँकि, जहाँ सक्षम अधिकारी की राय है कि अनुभाग 74A(9)(i) के तहत भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम है, वह ऐसी राशि के संबंध में कारण बताओ सूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा जो वास्तव में देय राशि से कम होती है [अनुभाग 74A(10)]।

इस प्रकार, दिए गए मामले में, उचित अधिकारी ₹ 3,60,000 [₹ 4,60,000 - ₹ 1,00,000] के शेष कर के लिए सूचना जारी करेगा।

इसके अलावा, उचित अधिकारी को धोखाधड़ी और गैर-धोखाधड़ी दोनों मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख से 12 महीने के भीतर आदेश जारी करने की आवश्यकता होती है [अनुभाग 74A(7)]। इस प्रकार, दिए गए मामले में, सक्षम अधिकारी को 10 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले आदेश जारी करना होगा, चाहे कम भुगतान धोखाधड़ी के कारण हो या वास्तविक त्रुटि के कारण।

- (4) जहां कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, जहां कोई कर कम चुकाया गया है, कारण बताओ सूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर अनुभाग 50 के तहत देय ब्याज सहित उक्त कर का भुगतान करता है, और ऐसा करने पर कोई जुर्माना देय नहीं होगा और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी [अनुभाग 74A(8)(ii)]।

इस प्रकार, दिए गए मामले में, चूंकि अर्नव एंटरप्राइजेज ने कारण बताओ सूचना जारी करने के 60 दिनों के भीतर यानी 9 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले लागू ब्याज सहित ₹ 3,60,000 के कर का भुगतान कर दिया है, इसलिए कोई जुर्माना देय नहीं होगा और उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

यदि कम भुगतान धोखाधड़ी के कारण हुआ है तो उत्तर निम्नानुसार होगा:

जहां कर का भुगतान करने वाला कोई व्यक्ति, जहां कोई कर कम चुकाया गया है, सूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर अनुभाग 50 के तहत देय ब्याज और ऐसे कर के 25% के बराबर जुर्माना सहित उक्त कर का भुगतान करता है, और ऐसा करने पर, उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी [अनुभाग 74A(9)(ii)]।

इस प्रकार, दिए गए मामले में, अर्नव एंटरप्राइजेज को ₹ 90,000 [₹ 3,60,000 × 25%] का दण्ड देना होगा। यदि अर्नव एंटरप्राइजेज ने 5 दिसंबर, 2025 को ₹3,60,000 के कर और लागू ब्याज और ₹90,000 के दण्ड [₹3,60,000 × 25%] का भुगतान कर दिया है, जो कि कारण बताओ सूचना जारी करने के 60 दिनों के भीतर है, अर्थात् 9 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले, तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

16. अनुभाग 112 (8) में कहा गया है कि अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है, जब तक कि अपीलकर्ता निम्न को जमा नहीं करता है:
- विवादित आदेश से उद्भूत कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और दंड की पूरी राशि, जैसा कि उसके द्वारा स्वीकार किया गया है, और
  - विवादित कर की शेष राशि का 10%, उक्त आदेश से उत्पन्न AA के समक्ष जमा की गई राशि के अतिरिक्त, अधिकतम ₹20 करोड़ (IGST के मामले में ₹40 करोड़ रुपये) जिसके संबंध में अपील दायर की गई है।

तदनुसार, दिए गए मामले में, अपील अधिकरण में अपील दायर करने के लिए वेन्यू ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाने वाली पूर्व-जमा राशि की गणना निम्नानुसार की जाती है-

- (i) कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए कर, ब्याज और दंड की पूरी राशि, यानी कि ₹ 100 करोड़ और
- (ii) अधिकतम ₹ 40 करोड़ के अधीन विवादित कर का 10%, अर्थात् ₹ 110 करोड़ (₹ 1,100 करोड़ का 10%)

इसलिए, अपील अधिकरण में अपील दायर करने से पहले कंपनी द्वारा किया जाने वाला कुल पूर्व-जमा ₹100 करोड़ (कंपनी द्वारा स्वीकार की गई कुल देयता) + ₹40 करोड़, यानी ₹140 करोड़<sup>3</sup> है।

17. (a) CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के पैरा 9 के अनुसार, प्रमुख बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को संयुक्त रूप से प्रदान की गई बीमा सेवाओं के लिए प्रमुख बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन की गतिविधि न तो माल की आपूर्ति है और न ही सेवाओं की आपूर्ति है और इसलिए प्रभाजन संव्यवहार पर कोई GST नहीं लगाया जाता है।

हालांकि, प्रमुख बीमाकर्ता (एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड) को बीमाधारक - ज्ञाति इंडस्ट्रीज द्वारा भुगतान की गई पूर्ण प्रीमियम राशि, ₹50,00,000 पर पूरे GST (CGST और SGST या IGST, जैसा लागू हो) का भुगतान करना आवश्यक है। सह-बीमाकर्ता - एक्सवाईजेड इंश्योरेंस लिमिटेड प्रीमियम के अपने हिस्से पर अलग से GST का भुगतान नहीं करता है।

- (b) CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के पैरा 10 के अनुसार, बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को दी गई सेवाएं, जिनके लिए बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन काट

<sup>3</sup> चूंकि जीएसटी न्यायाधिकरण अभी तक कार्यात्मक नहीं हुआ है, इसलिए वेन्यू ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने GST पोर्टल पर पूर्व-जमा राशि के बराबर राशि का भुगतान करने और क्षेत्राधिकार वाले सक्षम अधिकारी के समक्ष एक वचनबद्धता/घोषणा दाखिल करने का निर्णय लिया है कि वह अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगा, जब भी यह कार्यात्मक होगा। परिपत्र संख्या 224/18/2024 GST दिनांक 11.07.2024 ने स्पष्ट किया है कि यदि करदाता क्षेत्राधिकार वाले सक्षम अधिकारी के पास यह वचनबद्धता/घोषणा दाखिल करता है कि वह अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगा, जैसे ही यह कार्यात्मक होगा, निर्धारित समय-सीमा के भीतर और पूर्व-जमा राशि के बराबर उक्त राशि का भुगतान करने पर (जिसे अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर करते समय जमा की जाने वाली आवश्यक पूर्व-जमा राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा), अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के अनुसार पुष्टि की गई मांग की शेष राशि की वसूली पर रोक लग जाएगी।

लिया जाता है, वह इस शर्त में अधीन, न तो माल की आपूर्ति है और न ही सेवाओं की आपूर्ति है, कि केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर का भुगतान पुनर्बीमाकर्ता द्वारा बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को देय सकल पुनर्बीमा प्रीमियम पर किया जाता है, जिसमें उक्त सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन शामिल है।

हालांकि, पुनर्बीमाकर्ता (पीक्यूआर पुनर्बीमाकर्ता लिमिटेड) बीमाकर्ता द्वारा देय सकल पुनर्बीमा प्रीमियम (₹ 20 लाख) पर GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें पुनर्बीमा कमीशन (₹ 1 लाख) भी शामिल है।

18. (a) संशोधित सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर या निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए माल का आयात) नियम, 2022 के नियम 10 के अनुसार, जिस आयातक ने अधिसूचना का लाभ उठाया है, वह संबंधित अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आयातित माल का उपयोग अवधि के भीतर करेगा और इस प्रकार आयात किए गए अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल के संबंध में, आयातक के पास या तो पुनः निर्यात करने या घरेलू उपभोग के लिए उसे उपयोग करने का विकल्प होगा।

इस प्रकार, सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसे दोषपूर्ण और अप्रयुक्त माल का पुनः निर्यात कर सकता है।

पुनः निर्यात या घर में उपयोग की मंजूरी निम्नलिखित के भीतर की जानी चाहिए -

- अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर;
- आयात की तारीख से एक वर्ष के भीतर, जहां अधिसूचना में समय अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है:

हालांकि, एक वर्ष की उक्त अवधि को क्षेत्राधिकार वाले आयुक्त द्वारा 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, यदि पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो कि समय अवधि के अनुरूप न होने के कारण आयातक के नियंत्रण से बाहर थे।

इसलिए, इस मामले में 9 फरवरी, 2025 तक पुनः निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि आयातित अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल के पुनः निर्यात के संबंध में अधिसूचना में कोई शर्त या समय अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है।

इसके अलावा, पुनः निर्यात की तारीख क्षेत्राधिकार वाले आयुक्त द्वारा 3 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

- (b) माल के पुनः निर्यात के लिए लागू शर्तें:

- अप्रयुक्त या दोषपूर्ण वस्तुओं का पुनः निर्यात आयातक द्वारा आवश्यक निर्यात दस्तावेजों का विवरण प्रदान करके त्रैमासिक विवरण में दर्ज किया जाएगा।

- (ii) पुनः निर्यात के लिए ऐसे माल का मूल्य आयात के समय उक्त माल के मूल्य से कम नहीं होगा।
- (c) अगर सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स घरेलू उपभोग के लिए सामान को उपयोग करने का विकल्प चुनता है:
- यह कॉमन पोर्टल पर ब्याज के साथ लागू सीमा शुल्क का स्वैच्छिक भुगतान कर सकता है।
  - इस तरह के शुल्क के भुगतान और उपयोग का विवरण आयातक के त्रैमासिक विवरण में प्रकटित किया जाना चाहिए।

## 19. देय सीमा शुल्क की संगणना

विवरण	राशि
CIF मूल्य (समझौता वार्ता मूल्य) [नोट -1]	5,500 £
घटाएं: विमान वस्तु भाड़ा	500 £
घटाएं: बीमा	<u>600 £</u>
FOB मूल्य	4,400 £
	₹
FOB मूल्य (₹ में) [4,400 £ x ₹ 102] [नोट-2]	4,48,800
जोड़ें: विक्रेता निरीक्षण के शुल्क [नोट-3]	शून्य
जोड़ें: स्थानीय एजेंट को देय कमीशन [FOB मूल्य का 1%] [नोट -4] = (US \$ 4,400 × ₹ 102) × 1%	<u>4,488</u>
सीमा शुल्क के अनुसार FOB मूल्य	4,53,288
मालभाड़ा [नोट-5] /500 £ x ₹ 102]	51,000
बीमा [नोट-6] /600 £ x ₹ 102]	<u>61,200</u>
निर्धारण योग्य मूल्य	5,65,488
जोड़ें: मूल सीमा शुल्क @ 10% [नोट-7] - पूर्णांकित	56,548.80
सामाजिक कल्याण अधिभार ( ₹ 56,548.80 का 10%) [पूर्णांकित]	<u>5,655</u>
देय सीमा शुल्क [पूर्णांकित]	62,204

## नोट:

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुभाग 14 के अनुसार, आयातित माल का मूल्य संब्यवहार मूल्य है, जिसका अर्थ है माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय

- कीमत। इस मामले में, चूंकि अनुबंध पर पुनः समझौता वार्ता की गई थी और आयातक ने पुनः समझौता वार्ता वाली कीमत का भुगतान किया था, इसलिए संव्यवहार का मूल्य पुनः समझौता वार्ता वाली कीमत होगी न कि संविदा मूल्य।
2. प्रविष्टि बिल दाखिल करने की तिथि पर CBIC द्वारा अधिसूचित विनिमय दर को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुभाग 14 के तीसरे प्रावधान के अनुसार माना जाएगा।
  3. आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में खरीदार द्वारा विक्रेता को वास्तव में किए गए भुगतान ही सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 के नियम 10(1)(e) के अंतर्गत निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल किए जा सकते हैं। विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं किए गए माल पर विक्रेता निरीक्षण के शुल्क, जो माल को शिपमेंट के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक नहीं है, आयातित माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं हैं [बॉम्बे डाइंग एंड मैनुफैक्चर बनाम CC 1997 (90) ELT 276 (SC)]।
  4. स्थानीय एजेंट को भुगतान किया गया कमीशन (चूंकि वह खरीद के लिए कमीशन नहीं है) इस अनुमान पर मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जा सकता है कि स्थानीय एजेंट निर्यातक द्वारा नियुक्त किया गया है [सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों का नियम 10(1)(a)(i)]।
  5. माल दुलाई के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि पर विचार किया जाएगा क्योंकि माल दुलाई FOB मूल्य के 20% से अधिक नहीं है [सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 10(2) का पांचवां नियम]।
  6. भुगतान किए गए वास्तविक बीमा शुल्क सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम के नियम 10(2)(b) के अनुसार मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल करने योग्य हैं।
  7. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुभाग 15 के प्रावधान के अनुसार, शुल्क की दर प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने की तिथि या विमान के आगमन की तिथि, जो भी बाद में हो, को लागू दर होगी।
20. नहीं, विभाग द्वारा उठाई गई मांग मान्य नहीं है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुभाग 49 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि घरेलू उपभोग के लिए आयातित माल यदि सार्वजनिक गोदाम में या आयातक के आवेदन पर निजी गोदाम में भंडारित किया जाता है और यदि उसे उचित समय के भीतर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गोदाम में रखा माल नहीं माना जाएगा और तदनुसार अध्याय IX के प्रावधान ऐसे माल पर लागू नहीं होंगे।
- दी गई स्थिति के तथ्य सीसीयूएस बनाम बिएको लॉरी लिमिटेड 2008 (223) ईएलटी 3 (SC) के मामले के समान हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जहां गोदाम में रखे

माल पर शुल्क का भुगतान किया जाता है और सीमा शुल्क अधिनियम के अनुभाग 68 के प्रावधानों के अनुपालन में सक्षम अधिकारी द्वारा घरेलू उपभोग के लिए प्रभार रहित आदेश दिया जाता है, वहां सीमा शुल्क अधिनियम के अनुभाग 49 के तहत गोदाम में भंडारण के लिए रखे जाने की अनुमति वाले माल को गोदाम में रखा माल नहीं माना जाएगा और आयातक को कुछ भी अधिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।